

र  
व  
म  
की  
सी  
हुए

अनवान प्रांगीलाल आभ फरताराम

मुकदमा नंबर 67 / 2023

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख अहकाम जो  
इस हुकम की तामील में जारी  
हुए

09-06-25

पत्रावली पेश हुई।  
वादीगण वकील उपाधित। तहसीलदार समद्री  
के पत्र क्रमांक- श्र.अ./2025/948 दिनांक  
30-05-2025 इवारा अगत क्रवाचा कि वादीगण  
एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त श्रमि का  
आपसी सहमति से तहसील कार्यालय समद्री  
में विभाजन हो चुका है एवं जितका नामान्तर-  
करण भी स्वीकृत हो चुका है।

हमने तहसीलदार समद्री से प्राप्त पत्र  
एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
चूंकि वादग्रस्त श्रमि का आपसी सहमति से  
विभाजन हो चुका है। ऐसे में वाद की  
कार्यवाही जारी रखे जाने का कोई औचित्य  
नहीं है।

लिहाजा वादीगण का वाद इसी स्तर पर  
रवारिज किया जाता है।

पत्रावली केवल श्रमर होकर वापिस  
दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर  
(S.D.O) सिवाना

